

26/7/19

पञ्जाबली आज़म राज्य सरकार
 एन.टी.एस. तहसीलदार एन.टी.एस. गण्ड
 को डी.ए. से अन्तर्गत द्वारा
 88 R.N. Act के तहत पेय
 किया। दवा दण्ड शिवालय किया
 गया। जैसि प्राची निकाश बाप
 प्रतिवासी रेडियन अन्तर्गत डी.ए.
 वायुमंडल सूचना अन्तर्गत।

रिपोर्ट

पंजाब सरकार के प्रस्तुत
 बाक पत्र में अंकित किया कि
 वर्तमान तहसील एन.टी.एस. गण्ड में
 सेंटी गैशन का कार्य चल रहा है
 सेंटी गैशन के दौरान ग्राम निवासी
 तहसील एन.टी.एस. गण्ड (प्रमपुर) को बाण
 एन.टी.एस. संवत् 2071-74 के खातों की
 जाच की गई। तो पाया कि खाता नं
 262 के खण्ड 289 में खातेदारों के
 हिस्से वही दर्ज नहीं है सभी दर्ज करने
 हेतु निर्देश किया।

पंजाब सरकार के फर्द
 मौका रिपोर्ट दिनांक 15/7/19 पेय की
 बाब में शामिल पञ्जाबली हेतु पञ्जाबली
 का अदालत करने व फर्द मौका रिपोर्ट
 पर अलग करने के उपरान्त, राज्य
 सरकार की योजना DILRMP व
 R.N. Act की धारा 88 के तहत तहसीलदार
 एन.टी.एस. गण्ड की फर्द मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत
 हिस्से ड्रॉ कराने के अन्तर्गत तहसीलदार
 एन.टी.एस. गण्ड को दि. 1/7/19 है तथा तहसीलदार
 राजाड निवासी में अंकित किया जाके
 निर्णय व फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति
 तहसीलदार एन.टी.एस. गण्ड को पालागप दे
 जायेंगे।

पञ्जाबली फौजल अमर ठेकर
 नमरे से फते हो। बाद डी.ए. वायुमंडल
 उपर हो। निरूप सुभाष गया।

Cup
 उपखण्ड अधिकारी
 एन.टी.एस. गण्ड

